



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2021/HQ/Admin/RTI-474

New Delhi: 21.06.2021

श्री रमाकांत शुक्ला
पुत्र श्याम सुन्दर शुक्ला
ग्राम-परजनी, पोस्ट - बान,
परगना - डेरापुर,
जिला - कानपुर देहात, (30 प्र०)
मोबाइल-7398443079

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।


संदर्भ: आपका आरटीआई आवेदन दिनांक 08.06.2021, जो इस कार्यालय में दिनांक 14.06.2021 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ में, संबंधित कार्यालय से प्राप्त सूचना संलग्न है।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिनका नाम और पता इस प्रकार है:

सुश्री आर० पी० छिबबर
समूह महाप्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,
5 वीं मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,
प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001

संलग्न: 01 पृष्ठ


21.6.21

(एस. के. राय)

उप. महाप्रबंधक / प्रशा. (ज. सू. अ.)

011-23454707



इंजीनियरिंग एंड कॉन्सल्टिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(रेल मंत्रालय का उपक्रम)

ENGINEERING AND CONSULTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

पत्रांक: CNB/EN/K11/16(A)/Y-21/M-6(12)

दिनांक- 17.06.2021

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
डी०एफ०सी०सी०आई०एल०,
टुम्डला (आगरा)

विषय- सूचना अधिकार अधिनियम -2005, के अन्तर्गत श्री रमाकान्त शुक्ला के द्वारा मांगी गई सूचना
दिनांक 08.06.2021 सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-उप महाप्रबन्धक/एण्डमीन (पीआईओ), नई दिल्ली, का पत्र 2021/HQ/ADMIN/RTI-474 Dated 15.06.2021


महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें।

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री रमाकान्त शुक्ला के द्वारा, जो जनसूचना अधिकारी/प्रबन्धक, डी०एफ०सी०सी०आई०एल० नई दिल्ली को सम्बोधित है, उप महाप्रबन्धक/एण्डमीन (पीआईओ) नई दिल्ली के पत्र 2021/HQ/ADMIN/RTI-474 Dated 15.06.2021 के साथ इस कार्यालय में उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/एन०आर०/टुम्डला की ई-मेल के माध्यम से दिनांक 15.06.2021 को प्राप्त हुआ है। प्रार्थी द्वारा मांगी गई सूचना के सम्बन्ध में प्रस्तरवार जानकारी निम्नलिखित है:-

1. प्रस्तर-1 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि गाटा सं० 292 (नाली) रकबा 0.3970हे०, गाटा सं० 294ख (नाली) रकबा 0.0310हे०, व गाटा सं० 519 (नाली) रकबा 0.0050हे०, डी०एफ०सी०सी०आई०एल० परियोजना में प्रभावित है। उक्त प्रभावित भूमि के पुनर्ग्रहण हेतु कार्यवाही प्रचलित है। मूल्यांकित धनराशि जमा कराये जाने हेतु राजस्व विभाग के निर्देश प्राप्त होते ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
2. प्रस्तर-2 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि गाटा सं० 558 (नाली) रकबा 0.0860हे०, का पुनर्ग्रहण कर मूल्यांकित धनराशि राजकीय मद में जमा की चुकी है। उक्त सम्बन्ध में, डी०एफ०सी०सी०आई०एल० द्वारा कोई भी कार्यवाही किया जाना शेष नहीं है। गाटा सं० 527 की जलनिकासी के सम्बन्ध में, अवगत कराना है कि रेलवे गाटा सं० 527 की समुचित जल निकासी हेतु टाटा-एलडिसा द्वारा पूर्व में सड़क में पाइप डालकर व्यवस्था की जा चुकी है। डी०एफ०सी०सी०आई०एल० द्वारा वर्तमान में कोई कार्यवाही किया जाना शेष नहीं है।
3. प्रस्तर-3 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ग्राम-परजन्नी हॉल्ट तक जाने वाले रास्ते, के निर्माण से डी०एफ०सी०सी०आई०एल० का कोई सम्बन्ध नहीं है। इण्डियन रेलवे व डी०एफ०सी०सी०आई०एल० की लाइनों के मध्य के बरसाती जल की निकासी हेतु कच्ची नाली का निर्माण पूर्व में किया गया है।

कृपया वस्तुस्थिति से अवगत होते हुए अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।


उप परियोजना प्रबन्धक (ईजी०)

डी०एफ०सी०सी०आई०एल०/कानपुर।

17/06/2021